राजनेताओं की सम्पत्ति जिले से लेकर भोपाल एवं दिल्ली तक फैली

राजनेताओं के व्यवसाय जिले के अलावा पूरे प्रदेश तक हो रहे संचालित, जितना विकास पूर्व कलेक्टर रस्तोगी एवं एम सेल्वेंद्रन ने किया उतना 40 साल में जिले के जनप्रतिनिधि नहीं करा पाए

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। आज लगभग 40 वर्षों से पन्ना जिला जहां था वहीं पर हैं। हां इतना अवश्य है कि जिले के जनप्रतिनिधियों की चल एवं अचल सम्पत्ति को यदि देखा जाये तो महज 5 साल मे कई गुना बढ़ गई और कई बार जनता ने चुनकर जिले के विकास के लिए भेजा लेकिन मिला सिर्फ धोखा। आज जिला जहां पर है वहीं पर है जनप्रतिनिधियों एवं चहेतों का कई गुना विकास हुआ है। जो किसी से छिपा नहीं है।

वहीं जिले के राजनेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने भले ही कुछ नहीं किया लेकिन कुछ कलेक्टर जरूर पन्ना के लिए वरदान साबित हुए हैं जिसमें सर्वाधिक विकास कलेक्टर श्रीमती दीपाली रस्तोगी एवं एम सेल्वेंद्रन के कार्यकाल में हुआ है। जिसमें नवीन कलेक्ट्रेट एवं कचेहरी, केंद्रीय विद्यालय एवं बाईपास मार्ग, कलेक्टर श्रीमती रस्तोगी की देन हैं वहीं जिले भर में व्यवसायिक कॉम्पलेक्स एवं कुछ तहसील भवन पूर्व कलेक्टर एम सेल्वेंद्रन की देन हैं यदि देखा जाये तो जितना इन दो कलेक्टरों ने पांच वर्ष में किया है उतना जिले के जनप्रतिनिधि 40 साल में नहीं कर पाये। जिले के जनप्रतिनिधियों का इतना विकास हुआ है कि शायद उनकी आने वाली सात पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा सकेंगी। आज जो खबरें छन छन कर रही हैं उन्हें सुनकर बडा आश्चर्य लग रहा है कि जिले के कुछ जनप्रतिनिधियों के व्यवसायिक कारोबार जिले से लेकर प्रदेश के महानगरों एवं राजधानी में बडे रूप में चल रहे हैं वहीं बडे बडे फ्लैट्स भोपाल से लेकर दिल्ली तक मे हैं। यदि गोपनीय तरीके से गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से जिले के जनप्रतिनिधियों की सम्पत्तियो एवं प्रदेश भर में फैले कारोबार की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करा दी जाये तो शायद बहुत बडा घोटाला सामने आ सकता है और जिले के विकास का दंभ भरने वाले जनप्रतिनिधियों का असली चेहरा जिले के सामने आ सकता है। सरकार की अनेक लोक लुभावनी जनकल्याणकारी योजनाएं वास्तविकता के धरातल पर जाकर धराशाई हो जाती है क्योंकि अमले की कमजोर नींव पर घोषणाओं के महल टिक नहीं पाते। अधिकांश विभागों में आये दिन काम का दायित्व बढता जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या एंव संसाधन की कमी बनी रहती है जनप्रतिनिधियों को जन समस्या से जुडी बातों को ऊपर तक पहुंचा कर जहां व्यवस्था पूर्ति कर दबाव करना एवं पद पर बने रहने के लिए जोर जुगाड में लगे रहते हैं। जिन्हें पद मिल गया उनका पद सदैव कायम रहे इसलिए जनहित के बजाय अपने हितों के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जो सतत जनता के संपर्क में रहते हैं। विभागों से संबंधित घोषणाओं का जब अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता तो जनता को सरकारी योजना महज एक छलावा ही दिखने लगता है और विपक्ष इसी बात का फायदा उठाता है। राजस्व विभाग पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग आम आदमी के जीवन में रोजमर्रा की तरह उपयोगी हो गए हैं। सरकार के कई विभागों में स्वीकृत पदों की पूर्ति

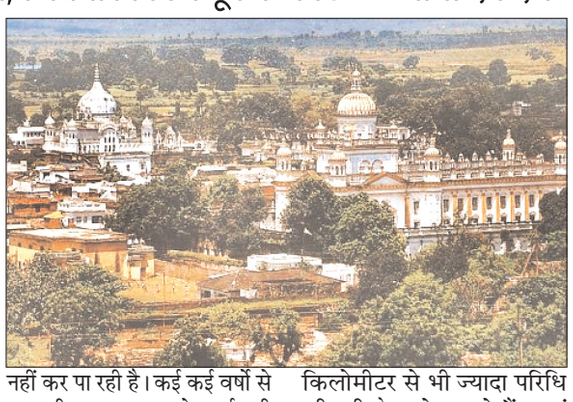

नहीं कर पा रही है। कई कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारी निर्भीक होकर मनमानी करते रहते हैं। पुलिस विभाग में निचले स्तर पर काम ज्यादा है। कर्मचारी कम। शासन योजना में 100 नंबर डायल पर गाडी तो पहुंच जाएगी पर मौके पर कार्यवाही करेगा कौन। आपके द्वार पर पहुंचकर रिपोर्ट लिखाने की घोषणा पर शत प्रतिशत क्रियान्वयन किसके दम पर होगा।

पुलिस विभाग में अंग्रेजों के जमाने के भत्ते एवं स्टॉफ, कैसे होगा अपराधों पर नियंत्रण:- थानों में स्वीकृत पद के अनुरूप बल नहीं 40-50 किलोमीटर से भी ज्यादा परिधि की दूरी के अनेक थाने हैं। यहां गस्त एवं बीट प्रभारी को अंग्रेजों के समय से लागू साइकिल भत्ता ही दिया जा रहा है। बाबा आदम जमाने के पद स्वीकृत हैं वे भी नहीं भरे हैं और जो अब नये सिरे स्वीकृत हो रहे हैं उनके बारे में तो कल्पना ही करना बेकार है। जिन थानों में पुलिस के वाहन हैं। वहां के नाम पर डीजल खर्च ही सीमित हैं। क्षेत्र की बढती आबादी एवं अपराध के अनुसार कई स्थानों पर नए थाने एवं पुलिस चैकियां की स्थापना होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालयों में थाने की स्थापना निश्चित रूप से आजादी के तत्काल बाद ही हो पाई है। जिले के अंदर निश्चित किए गए अनुभाग स्तर जितना कार्यक्षेत्र एसडीएम को दिया गया है उतना कार्यक्षेत्र एसडीओपी को नहीं दिया गया। थानों एंव आवश्यक पुलिस चैकियों में संसाधन के साथ कार्यालय भवन का भी अभाव बना हुआ है। स्टॉफ की कमी है। काम के घंटे निश्चित नहीं है। जिसके कारण काम के प्रति लापरवाही होती है। प्रभावशाली व्यक्ति अथवा प्रलोभन के मामले में इनकी रुचि ज्यादा दिखती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बीट प्रभारी नियमित रूप से अपने क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर पाते। वर्ष 1970 के पश्चात व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो पुलिस सम्पन्न नहीं रह गई है। राजनैतिक आकाओं को प्रसन्न रखने में ही वे अपने दायित्वं का निर्वहन समझते हैं। एसडीओपी स्तर पर भी रिजर्व बल होना चाहिए। जिससे किसी भी मामले में तत्परता से इस बल का प्रयोग किया जा सके। पुलिस के काम कें घंटों का निर्धारण होना चाहिए। स्टॉफ बढाना चाहिए। जनता और पुलिस का मैत्री सम्बंध होना चाहिए एवं कानून विरोधी कार्य करने वालों के बीच दहशत तथा जन सामान्य की सुरक्षा के प्रति उसके अंदर ललक होनी चाहिए।

पटवारी,आरआई व राजस्व अमले पर व्हीआईपी लोगों के खर्चे का दायित्व

चाहे जिला मुख्यालय हो या तहसील मुख्यालय कोई भी व्हीआईपी नेता, मंत्री या सांसद विधायक आते हैं तो उनके सारे खर्चो का अप्रत्यक्ष रूप से दायित्व पटवारी, आरआई एवं राजस्व अमले को उठाना पड़ता है। हां यदि किसी विभाग के मंत्री जी आ गये तो अवश्य सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को उठाना पड़ता है। अब भला वे अपनी जेब से तो खर्च नहीं करेंगे। यानि की जनता से ही वसूली कर इन व्हीआईपी राजनेताओं की खातिरदारी करेंगे। ऐसे में सिर्फ सुशासन का राग भाषणों में अलापा जाता है लेकिन वास्तव में कुशासन का दौर चल रहा है। राजस्व विभाग का अमला पटवारी एवं आरआई पर निर्भर है गांव के हल्कों में पटवारी कभी जाते नहीं। नामांतरण, सीमांकन एवं राजस्व संबंधी कोई भी रिपोर्ट बिना घूंस एवं दबाव के पूरी नहीं होती। पटवारी पैसा वसूलने की खुली मशीन हैं जिनके ऊपर अधिकारी की भी नहीं चलती। प्रधानमंत्री सम्मान, निधि योजना, प्राकृतिक आपदा का सर्वे, नि:शुल्क खसरा खतौनी, ऋण पुस्तिका निर्माण आदि पर पटवारी ही सर्वे सर्वा रहता है। जिसके खुले भ्रष्टाचार पर भी अधिकारी आंख बंद किए रहने के लिए मजबूर हो जाते है प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रो में पटवारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस के बीट प्रभारी पंचायत सचिव को अनिवार्य रूप से रहने के लिए सरकारी आवास बनाया जाना चाहिए। जिससे इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य के मामले में स्टॉफ एवं दवाओं की कमी के कारण लोगों का सरकारी अस्पताल से विश्वास उठता जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राजस्व, के मामलों में जमीनी स्तर पर परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

निजी कंम्पनियों की तिजोरियां भरने शासकीय भवनों में लगाए गए सोलर पैनल शो पीस बनकर खड़े

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। सोलर पैनल के नाम पर सरकारी भवनों को भी नहीं छोड़ा गया। प्रायवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने फरमान जारी हुआ कि सरकारी भवनों की छतों में सोलर पैनल लगायें जाय। सरकारी कार्यालयों की बिजली की मांग को कम किया जाय और सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाय। इसी उद्देश्य से प्रदेश की सरकार ने सरकारी भवनों की छतों में सोलर पैनल स्थापित करवा दिया।

चूंकि शासन का आदेश था और सरकार का ही पैसा खर्च होना था, निजी कंपनियों की तिजोड़ियों को भरना था इसलिये यह सब आसानी हो गया। किन्तु आज यदि पता किया जाय तो यही बताया जायेगा कि जहां भी सोलर पैनल लगाये गये हैं वे या तो शो पीस की तरह खड़े हैं अथवा उनमें कोई न कोई कमी छोड़ दी गई है अथवा उनका संचालन एवं संधारण नहीं किया जा रहा है।

इसलिये जहां बिजली के मामले में सरकारी कार्यालयों को सोलर के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने का लक्ष्य था वहां सोलर पैनल स्थापित करवाकर सरकारी विभागों से धन खर्च करवाने का काम किया गया है। यदि यही आत्मनिर्भर होने का प्रमाण है तो समझा जा सकता है कि किस तरह से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और कितना लाभ होता है।

जिस समय पर सरकारी विभागों में रूफ टाप के नाम पर छतों में सोलर पैनल लगाने की योजना प्रारंभ हुई तो यह भी कहा गया था कि जिले के सरकारी संस्थान धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे है। यहां अपने-अपने कार्यालयों का खर्चा कम करने के लिए सरकारी संस्थान सोलर बिजली का उपयोग तेजी से करेंगे। किन्तु आज पता किया जाय तो इस योजना में व्यापक पैमाने में घपला समझ में आता है। इसे एक अभियान की तरह से संचालित किया ताकि कोई भी विभाग बचना नहीं चाहिये। किन्तु आज स्थिति यह है यदि बिजली कंपनी की बिजली यदि बंद हो जाय तो काम बंद हो जाते हैं। दिन है तो कंप्यूटर बंद और रात है तो अंधेरा कायम है।

दो हजार केवीए से अधिक के सोलर पैनल लगे

सरकार का प्रयास यह भी रहा कि निजी संस्थान भी सोलर बिजली का उपयोग करें। किन्तु उनके लिये बनाई गई योजना कामयाब नहीं हो सकी। केवल किसान पंप योजना ही रही जो कुछ हद तक किसानो ने स्वीकार किया किन्तु अब उसकी भी हवा निकाली जा चुकी है। सवाल तो यह है कि जब दो हजार किलोवाट से अधिक के सोलर पेनल सरकारी भवनों में लगाये जा चुके हैं तो यहां बिजली का संकट नहीं होना चाहिये। किसानों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिये, बिजली कंपनियों को घाटा नहीं होना चाहिये, बिजली के बिलों में वृद्धि रूक जानी चाहिये, उपभोक्ता को भी राहत मिलनी चाहिये। सरकारी संस्थाओं को भी अतिरिक्त बिजली बिक्री करनी चाहिये। किन्तु यहां ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अडानी कंपनी के सोलर पैनल का उपयोग करने और कंपनी को आत्मनिर्भर बनाने में भ्रष्ट तंत्र का सहयोग रहा है।

पन्ना पुलिस ने विद्यालय में आयोजित किया साइबर जागरुकता कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। माह अक्टूबर-2025 को सायबर जागरूकता माह घोषित किए जाने के तहत सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सायबर जागरूकता अभियान बृहद स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में पन्ना पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी तारतम्य में आज थाना कोतवाली पन्ना क्षेत्र अंतर्गत मनहर कन्या विद्यालय में सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं के बीच सायबर सुरक्षा क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सायबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा सायबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान थाना कोतवाली से उप निरीक्षक रचना पटेल, सायबर सेल पन्ना से विशेषज्ञ आशीष अवस्थी, धर्मेन्द्र सिंह राजावत द्वारा छात्राओं को सायबर अपराधों से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। उपस्थित छात्राओं को बताया गया कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, किसी भी अज्ञात लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें, अज्ञात कॉल या मैसेज के माध्यम से मिलने वाले लिंक पर क्लिक न करें, अपने व्यक्तिगत दस्तावेज या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, सोशल मीडिया पर ओवरशेयरिंग से बचें और गोपनीयता सेटिंग्स को हमेशा सक्रिय रखें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में शिक्षको एवं छात्राओं को एन.सी.आर.पी., सी. ई. आई. आर. तथा संचार साथी पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी गई। इन पोर्टलों के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल गुम या चोरी होने की शिकायत, साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्टिंग तथा संदिग्ध संचार गतिविधियों की सूचना आसानी से दर्ज कर सकते हैं। पन्ना पुलिस द्वारा अपील की गई है कि सभी नागरिक सायबर सतर्कता अपनाएं, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाने या सायबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें।

पत्रकार के पुत्र पर जानलेवा हमला आरोपी फरार, मामला दर्ज

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। पन्ना जिले के अमानगंज नगर में कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के उद्देश्य से पत्रकार के पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

घटना के विषय में ज्ञात हुआ है कि बीती शाम दिनांक 22 अक्टूबर को लगभग 6 बजे नगर अमानगंज के साप्ताहिक बाजार में नगर के वरिष्ठ पत्रकार चंपत राय तिवारी के पुत्र सत्यम तिवारी (उम्र लगभग 35 वर्ष) के ऊपर कुछ लोगों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया और मारपीट करने लगे। हमलावरों ने सत्यम तिवारी के साथ मारपीट करने के बाद मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर नगर का माहौल खराब करने का प्रयास किया। इस मारपीट में युवक सत्यम तिवारी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उनके भाई संदीप तिवारी द्वारा अमानगंज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया और समुचित इलाज और मेडिकल परीक्षण न हो पाने के कारण जिला चिकित्सालय पन्ना ले जाया गया। इससे पहले फरियादी सत्यम तिवारी ने पुलिस थाना अमानगंज पहुंचकर घटना की सूचना दी, जिस पर अमानगंज थाना पुलिस ने आरोपी रोहित शर्मा और ठेकेदार शर्मा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह मामला मारपीट का दर्ज हुआ है और इसमें लूट की कोई धारा नहीं है। वहीं, फरियादी की बार-बार फरियाद और सोशल मीडिया पर चीख-चीख कर बताने के अनुसार 45,000 रुपये लूट की घटना घटित होने की बात फरियादी द्वारा कही जा रही है।

अधिकांश राशन दुकानों पर सत्ताधारी दल के नेताओं का कब्जा

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत हर गरीब आम आदमी को दो वक्त की रोटी नसीब हो सकें। इसके लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेंहू, चावल, नमक, चीनी, केरोसिन, सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण की जिम्मेंदारी सौंपी गई। परंतु इन समितियों ने इस योजना को सत्ताधारी दल के नेताओं एवं कुछ पार्षदों ने कंगाली दूर करने का जरिया बना डाला।

हालात एवं भ्रष्टाचार करते हुए दुकानदार, सेल्समैन, इस वितरण खाद्य सामग्री में खुलेआम मनमाना राज एवं जंगल रात के चलते लोगों को मिलने वाला खाद्यान्न उन्हें कितना नसीब हो रहा है एवं कितना बाजार में ब्लैक कर दिया जाता है एवं कितनी सेवाभाव से समितियां अपने कार्य का निर्वहन करती है यह बात आम जनता से मिलकर शासन प्रशासन में बैठे आफीसरान भी अच्छे तरह से जानते है। यह बात यदि कही जाए कि जनता हलाकॉन है वहीं इस समिति धारिकों की मौज है।

नहीं आ पाया बदलाव:- ऐसा नहीं है कि गरीबों के नाम पर खाद्यान्न वितरण प्रणाली मे आज से ही नहीं बल्कि वर्षो से इस प्रणाली में गड़बड़ झाला व्याप्त चला आ रहा है। आम जनता को लगता था कि मोहन राज में भ्रष्टाचार प्रणाली पर रोक लगेगी। योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में होगा। आम जनता की दशा सुधरेगी। अधिकारी, कर्मचारियों में रिश्वत खोरी की प्रथा पूर्णत: बंद हो जाएगी। इस तरह की अंधेरगर्दी एंव योजनाओं के नाम पर डांका डालने वालों की मौज है। इसका कारण के बारे में जनचर्चा है कि जिले के अधिकांश राशन दुकानों एवं सोसायटियों में सत्ताधारी दल भाजपा नेताओं एवं कुछ पार्षदों का भी कब्जा है। जिसके चलते प्रशासन चाह के भी कोई कार्यवाही करने में अपने असमर्थ महसूस करते हुये उन्हीं के साथ मिलकर अपनी हिस्सेदारी लेकर सबकुछ जानते हुये भी इस अवैध कारोबार में अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।

स्थिति और दयनीय

जन चर्चाओं के बाजार मे यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जब आम जनता से पूछा जाए तो लोग यही कहते है कि मोहन के राज मे पहले से भी ज्यादा गरीबों के हक अनाज एंव सेल्समैन ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं एवं जंगलराज कायम हो चुका है अब तो हालात यह है कि यदि बात पन्ना नगरीय क्षेत्र में संचालित समिति संचालकों का रवैया एवं उनकी कार्य शैली के तहत इस सेल्समैन एवं समिति प्रबंधक संचालक के पूर्व की आय की जांच कराई जाए एवं वर्तमान मे इनकी आर्थिक स्थिति का जांच कराई जाए तो आज ये लखपति हो चुके हैं।

मोबाइल के माध्यम से बढ़ रही हैं फ्रॉड की घटनाएं, सभी रहें अलर्ट

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। बढ़ती मोबाइल के प्रचलन के साथ फॉड की घटनाएं आजकल आम बात हो गई है जाने अनजाने में कई बार बातों के बहकावे में आकर हर समझदार व्यक्ति की गलती कर बैठता है जिसके लिए बार बार चेतावनी दी जाती है।

पुलिस प्रशासन साइबर सेल द्वारा लेकिन देखा जा रहा है कि लोग उन चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते जिसके कारण उनको फ्राड करने वाले लंबा चूना लगा देते हैं फिर वालों पुलिस साइबर सेल के पास जाकर अपनी शिकायत करते हैं जब तक देर हो चुकी होती है और उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ता है। आईटी एक्सपर्ट का कहना है कि हर व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला चाहे छोटा या बड़ा खासकर लड़कियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मोबाइल का उपयोग करते समय खासकर सोशल मीडिया के उपयोग में अलर्ट रहें। गलती करने की कोई भी गुंजाइश न छोड़ें। अगर आप मोबाइल, फेसबुक और इंटरनेट बैंकिंग करते हुए सुरक्षा के ये दस तरीके अपना लें तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। किसी

अनजान नम्बर खासकर 11 डिजिट के नम्बर से कॉल आए तो इन्हें न उठाएं और न ही कॉल बैक करें। मोबाइल बैंकिंग भुगतान सुरक्षित तरीके से करेंकोई बैंक कभी भी आपसे आपके खाते के बारे में जानकारी फोन या मैसेज से नहीं पूछता किसी भी व्यक्ति को अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आए ओटीपी न बताएं। इंटरनेट सर्किंग के दौरान एंटी वायरस का प्रयोग जरुर करें। इन्टरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय सिक्योरिटी लॉक को जरुर देखें। लुभावने ऑफर देने वाले लिंक को कभी क्लिक न करें। यह धोखाधड़ी करने की शुरुआत हो सकती है। अपने इमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट का पासवर्ड कम से कम आठ अक्षरों, संख्याओं और स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बीनेशन में बनाएं। भूलकर भी किसी को पासवर्ड न बताएं चाहें जितना खास मित्र हो। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करते समय प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग का इस्तेमाल जरुर करें आप केवल अपने परिचित मित्रों या परिचित के मित्रों से जुड़ें। कभी किसी अनजान पुरुष-महिला, लड़का-लड़की से दोस्ती न करें और खुद भी किसी को कोई गलत संदेश भेजें। किसी के बुलाने पर अपरिचित जगहों पर मिलने न जाएं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को अपनी आंखों के सामने स्वाइप करें। कार्ड के पीछे सीवीवी नम्बर याद करने के बाद मिटा दें। ऐसे ही अपना पिन, प्रोफाइल पासवर्ड भी सुरक्षित रखें। इंटरनेट बैंकिंग साइबर कैफे से बिल्कुल न करें। एटीएम के अंदर किसी की सहायता न लें। ईनाम जीतने, नौकरी लगने या फिर लाटरी जीतने, इनकम टैक्स रिफण्ड जैसे मेल या मैसेज पर कभी कोई अपनी । प्रतिक्रिया न दें।

बंद हो चुकी योजनाओं एवं ब्याज की राशि में व्यापक फर्जीवाड़े की चर्चाएं

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। एक तरफ सरकारें लोकहित में योजनाओं को लागू करती हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए बजट दिया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग में 20 साल के दरम्यान कई योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। मनरेगा के पहले एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, बीआरजीएफ, इंदिरा आवास, होमस्टेड आदि कई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा था। इनमें अधिकांश योजनाएं बंद हो चुकी है। एसजीआरवाई को मनरेगा में विलय कर दिया तो एसजीएसवाई को आजीविका में शामिल कर दिया गया।

इंदिरा आवास व होमस्टेड के स्थान पर पीएम आवास लागू हो गया। लिहाजा ऐसी स्थिति में योजनाओं के बंद होने के बाद अंतिम ऑडिट के बाद शेष बची राशि तो विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए।

नि:शक्तजनों के नाम पर भी खेल:- पन्ना जिले में नि:शक्तजनों के नाम पर भी जनपदों ने बडा खेल कर डाला। जितनी कीमत के उन्हें कृत्रिम अंग नहीं मिले होंगे कहीं उससे अधिक उनके नाम पर जनपदों ने विभिन्न योजनाओं व मदों से राशि खर्च कर डाला। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगों के नाम पर यहां विकासखंड स्तरीय मेलों का आयोजन हुआ। इन आयोजनों में कितनी राशि व्यय की जानी चाहिए इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। किंतु यहां जनपदों ने दिव्यांगो के नाम पर 4-5 लाख प्रति शिविर के मान से राशि खर्च किया। दो दो लाख के बिल चाय व नाश्तों के नाम पर बनाये गये, टेंट व कुर्सी आदि के बिल अलग बनाये गये।

इस तरह से जिले के जनपदों में हुए आयोजनों के हिसाब से देखा जाय तो समझा जा सकता है कि दिव्यांगों के नाम पर हुए शिविरों में लगभग 50 लाख की राशि खर्च हो गई। जबकि दिव्यांगों को 50 लाख के उपकरण भी शायद नहीं मिले होंगे। यह भी सही है कि जब सरकार फिजूलखर्ची पर नियंत्रण करना चाहती है और सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो दो तीन सौ दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए जिला स्तरीय शिविर लगाया जा सकता था। जहां मुश्किल से पांच दस लाख में पूरा आयोजन हो जाता।

किंतु ऐसा न करके विकासखंड स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया जहां 50 लाख का फटका जनपदों के माध्यम से लगाया गया। जांच का विषय यह है कि जो राशि आयोजनों के नाम पर व्यय की गई वह किस मद से खर्च हुई है क्या गाईडलाईन में इस तरह का प्रावधान भी था या मनमानी तरीके से यह सब उस समय किया गया जब बंद हो चुकी योजनाओं की राशि विभाग वापस मांग रहा था।

कौन सी नई गाइडलाइन बन गई

हर योजनाओं जब लागू होती है तो उसकी गाइड लाइन जारी की जाती है फिर उसी गाइड लाइन के अनुसार योजना को आगे बढाया जाता है उससे हटकर कोई भी कार्य हांथ में नहीं लिया जा सकता और न ही स्वीकृत किया जा सकता। किंतु सवाल यह है कि जब कोई योजना बंद हो जाये तो उसे कई साल के बाद बिना किसी सक्षम आदेश या निर्देश से किस आधार पर जिंदा किया जा सकता है। इस संबंध में न तो जिला स्तर से कुछ हो सकता और न ही जनपद से। किंतु पन्ना में कुछ भी संभव है इसलिए यहां तो बंद हो चुकी योजनाओं के खातों में भी नये नये काम स्वीकृत हो जाते हैं और राशि जारी हो जाती है।

ब्याज की राशि का भी नहीं मिलेगा कोई हिसाब

जहां करोडों की राशि योजनाओं की शेष बची होती है वहां फिर उस राशि की ब्याज भी कम नहीं होती। ब्याज की राशि भी करोडों में जमा होती रहती है किंतु आज तक उस ब्याज की राशि की खोजबीन भी नहीं हो पाई किस योजना की मूल राशि की ब्याज कितनी थी। उस राशि का उपयोग किस कार्य के लिए किया गया। इस राशि के व्य य करने शासन के निर्देश क्या थे किन किन कार्यो में ब्याज की राशि व्यय की गई। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्याज की राशि का भी उपयोग उन्हीं क्षेत्रों के विकास कार्यो में होना चाहिए। जिन क्षेत्रों के लिए जारी हुई थी। किंतु यहां तो ब्याज की राशि के उपयोग के लिए कोई गाईड लाईन ही तैयार नही होती। इसलिए उसका भी सही उपयोग कभी नहीं हो पाता।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत अटेंड न करने पर लगेगा अर्थदण्ड

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को अनिवार्य रूप से एल 1 स्तर पर ही अटेंड करने की कार्यवाही के संबंध में निर्देशित किया है।

प्रथम चरण में शिकायत अटेंड न करने और संतुष्टिपूर्ण निराकरण की कार्यवाही का प्रतिवेदन पोर्टल पर समय सीमा में दर्ज न कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध 500 रूपए प्रति शिकायत के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। जुर्माना राशि जिला रेडक्रॉस सोसायटी पन्ना के खाते में एक सप्ताह में जमा कराना होगी। इस संबंध में जारी आदेश में अवगत कराया गया है कि टीएल बैठक के पूर्व जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायत अटेंड न करने वाले अधिकारियों की सूची प्रेषित की जाएगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा एल 1 अधिकारी को आगामी टीएल बैठक में उपस्थित होने अथवा ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जुड़ने के लिए सूचित किया जाएगा। समस्त एल 1 एवं एल 2 अधिकारियों को अपने स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति से अवगत होने तथा निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए तय समय सीमा में पोर्टल पर प्रतिवेदन दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे शिकायत नॉट अटेंड होकर अगले लेवल पर अग्रेषित न हो सके।